न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/213/2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. लेहरू लाल पिता छीतर जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शोभालाल पिता छीतर जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. उंकारलाल पिता छीतर जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शंकरी पिता छीतर जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मगनीबाई पत्नी छीतर जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)

—— वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादी

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांक: 27.03.2026

—:निर्णय:—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा मैवदा पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बेरुनी मे हाल आराजी नम्बर 204 रकबा 0.59 हैक्ट0, आराजी नम्बर 243 रकबा 0.64 हैक्टेयर स्थित है जिसके साबिक पैमायश के आराजी नम्बर 86 बटा 1 व 85 बटा 1 थे । उक्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी अधिकार एंव कब्जे काश्त की है।

यह कि उक्त आराजीयात मौके पर एक ही चक है व वादीगण काश्त कर रहे है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारयो ने बिना किसी आधार के वादीगण की उक्त आराजीयात के हाल नक्षा ट्रेस में आराजी नम्बर 204 के पूर्वी तरफ व दक्षिणी पश्चिमी कोने पर तथा आराजी संख्या 243 के उत्तरी तरफ व उत्तरी पूर्व कोने पर डोट–डोट के निशानात कर दिये जबकि साबिक नक्षा में कोई डोट–डोट के निशानात नहीं थे। हाल नक्षे में डोट–डोट के निशानात कर देने से गलत भ्रान्ती पैदा होती है व रास्ता होने का भ्रम पैदा होता है। इस प्रकार सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने बिना किसी आधार के मन मरजी से उक्त आराजीयात के नक्षा ट्रेस में डोट – डोट के निशानात कर दिये जो गलत है। अतः यह घोषित कराया जाना आवश्यक है कि वादीगण की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई रास्ता या डौट डोट के निशानात नहीं है व मौजूदा नक्षा ट्रेस में डोट–डोट के निशानात गलत दर्ज है जो दुरुस्ती योग्य है।

यह कि वादीगण की उक्त आराजी के हाल नक्षा ट्रेस मे दुरुस्ती कराई जाकर डोट–डोट के निशानात हटाये जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

यह कि उक्त गलत गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण को जरिये पटवार हल्का दिनांक 10–10–2015 को हुई अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनाक 10–10–2015 से होकर निरन्तर पैदा हो रही है। वादीगण की आराजीयात मै कोई रास्ता ही नही है मौके पर दोनो आराजी एक चक होकर वादीगण काश्त कर रहे है फिर भी गलत डोट डोट के निशानात लगा दिये जो गलत है।

अतः वादीगण की प्रार्थना है–

बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी के ईश्तकार हक की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के हाल नक्षा ट्रेस मे डोट–डोट के निशानात गलत दर्ज है जो दुरुस्ती कराई जाकर हाल नक्षा ट्रेस में डोट–डोट के निशानात हटाये जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादपत्र के कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के हाल नक्शा ट्रेस में डोट–डोट के निशानात गलत दर्ज है जो दुरूस्ती कराई जाकर डोट– डोट के निशानात हटाये जाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?

–जिम्मेवादी

2. दादरसी

साक्ष्यवादी में वादी लेहरूलाल पिता छीतर जाति जाट का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

<u>तनकी संख्या 01–</u>

आया वादपत्र के कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के हाल नक्शा ट्रेस में डोट–डोट के निशानात गलत दर्ज है जो दुरुस्ती कराई जाकर डोट– डोट के निशानात हटाये जाने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा वादी का था। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार साबिक नक्शें में डोट–डोट के निशानात नही थे, जबकि हाल आराजी संख्या 243 में नक्शें में उत्तरी मेड के सहारे डोट–डोट के निशान लगे हुए है, लेकिन मौके पर रास्ता नही है, उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित होने से वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा मैवदा पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के हल्के बेरुनी मे हाल आराजी नम्बर 243 रकबा 0.64 हैक्टेयर स्थित है के हाल नक्शें में साबिक नक्शे अनुसार अंकित डोट–डोट लाईन हटाये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन